

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016—चैत्र 11, शक 1938

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

अधि. क्र. 6-एफ-4-80-2015-अठारह-1.—मध्यप्रदेश, नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 में, खण्ड (क) में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 3 के सामने, शब्द “सहायक अध्यापक” के स्थान पर, शब्द “सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला)” स्थापित किए जाएं.
2. अनुसूची-एक में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 3 के सामने, शब्द “सहायक अध्यापक” के स्थान पर, शब्द “सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला)” स्थापित किए जाएं.
3. अनुसूची-दो में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 3 के सामने, शब्द “सहायक अध्यापक” के स्थान पर, शब्द “सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला)” स्थापित किए जाएं.
4. अनुसूची-चार में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 2 के सामने, शब्द “सहायक अध्यापक” के स्थान पर, शब्द “सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला)” स्थापित किए जाएं.

Not. No. 6-F 4-80-2015-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Government, hereby, makes

the following amendments in the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. in rule 8, in clause (a), in column (2), against serial number 3, for the words "Sahayak Adhyapak", the words "Sahayak Adhyapak/Sahayak Adhyapak (Laboratory)" shall be substituted.
2. in Schedule-I, in column (2), against serial number 3, for the words "Sahayak Adhyapak", the words "Sahayak Adhyapak/Sahayak Adhyapak (Laboratory)" shall be substituted.
3. in Schedule-II, in column (2), against serial number 3, for the words "Sahayak Adhyapak", the words "Sahayak Adhyapak/Sahayak Adhyapak (Laboratory)" shall be substituted.
4. in Schedule-IV, in column (2), against serial number 2, for the words "Sahayak Adhyapak", the words "Sahayak Adhyapak/Sahayak Adhyapak (Laboratory)" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.